

28-7-22

पतावली प्रेष हुई। कनौल मद्राकारान अनुप्राहित  
कनौल कदी एवं लारी तथा कनौल प्रतिवादी एवं प्रतिवादीयों  
को-आयातक समसतक बार-बार आवाज लगाव  
गई। लेकिन कोई उपाय नहीं हुई है।

अतः लारी का वाद अन्तर्गत आदेश 7 मिसम।  
व श्या-दी अन्तर्गत आदेश 09 मिसम 03 के लक्ष  
अदम शारी अदम मारी में लारण किया जाता है।  
पतावली के सत सुमार होकर नम्वर से काम होकर  
दाखिल दखल हो। निर्णय लुके न्यायालय में  
सुनाया गया।

उपरखण्ड अधिकारी  
साँभर लोक

